(d) if so, the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) (SMT. KRISHNA SAHI): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

Exit Policy

2732. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the present thinking of Government on the Exit policy; and

(b) what action has been taken by Government to prevent unemployment?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) (SMT. KRISHNA SAHI): (a) and (b) Under the New Industrial Policy, Government has ensured that the interests of labour would be fully protected. In order to ensure this, a National Renewal Funds has been set up. The National Renewal Fund will provide assistance to cover the cost of retraining and redeployment of labour arising as a result of modernisation and technology upgradation and also to provide a social safety net to workers affected by industrial restructuring.

A Special Tripartite Committee, consisting of representatives of the Government, the employers and Trade Unions has recognised that since modernisation of industry is essential for the economy, workers' technical skills should be upgraded and they should be suitably redeployed.

उद्योग स्थापित करने के लिए व्यक्तियों/सहकारी समितियों को सुविधाएं

2733. **श्री राम नरेश यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में नए उद्योग स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों/सहकारी समितियों को और अधिक सुविधाएं देने का विचार रखती है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में उद्योगों से संबंधित नियमों को सरल बनाने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) क्या भविष्य में लघु उद्योगों की स्थापना करने के लिए उद्योगपतियों को राज्य सरकारों द्वारा भी सहयोग दिए जाने की संभावना है, यदि हां, तो किस आधार पर?

उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) भारत सरकार ने उद्योगों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस की नीति तथा प्रक्रिया को पर्याप्त रूप से उदार बनाया है। राज्य सरकारों की अपनी औद्योगिक नीतियों के अनुसार सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के लिए निधियां

2734. **श्री [illegible] जोगी:**
श्री राधा किशन मालवीय:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के अधीन स्थापित किए गए छोटे, मझौले तथा भारी उद्योगों की वर्षवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इन उद्योगों को निधियां प्रदान करने तथा रियायती दरों पर विद्युत प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्रालय भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) मध्य प्रदेश में पांच केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पंजीकृत कार्यालय हैं। वेध हैं:—

1. नेपा लि०